

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

कमांक: प.7 (2) कार्मिक/क-2/81 पार्ट-20471

जयपुर, दिनांक 04/06/2026

1. समस्त अति० मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर) सहित

—: परिपत्र :-

**विषय: किसी पद पर अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की मूल सूची की अभिस्तावना प्रेषित करने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर सेवा के परित्याग/मृत्यु/पदच्युति होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से चयन किये जाने के सम्बन्ध में।**

सेवा नियमों में सीधी भर्ती के समय चयनित अभ्यर्थियों की मूल सूची के साथ विज्ञापित रिक्तियों की 50 प्रतिशत तक आरक्षित सूची भी तैयार किये जाने का प्रावधान है। आरक्षित सूची के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर पूर्व में परिपत्र दिनांक 19.07.2001, 13.01.2016, 26.04.2018 एवं 27.12.2021 जारी किये गये हैं।

पूर्व में जारी परिपत्रों के माध्यमों से निर्देशित किया गया था कि किसी रिक्त पद पर नवचयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करने के उपरान्त उस पद पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है तथा उस पद पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का कोई अधिकार नहीं रहता है। कार्यग्रहण के पश्चात् त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से उत्पन्न हुई रिक्ति को नवीन रिक्ति ही माना जावेगा तथा उस रिक्ति को नवीन भर्ती प्रक्रिया द्वारा ही भरा जा सकेगा।

उक्त के कम में यह तथ्य आलोक में आया है कि मूल सूची में चयनित कुछ अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण के पश्चात् परित्याग/मृत्यु /पदच्युति हो जाती है तो संबंधित पद पुनः रिक्त हो जाते हैं एवं ये पद स्वतः ही नवीन रिक्तियाँ मानते हुए नवीन भर्ती में शामिल हो जाते हैं जिससे रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति नहीं होने से भर्ती प्रक्रिया की समयबद्धता एवं राजकीय कार्यों की निरन्तरता सुनिश्चित नहीं हो पाती हैं।

अतः ऐसी स्थिति में राजकीय कार्यों की निरन्तरता एवं भर्ती प्रक्रिया की समयबद्धता के दृष्टिगत राजकीय विभागों में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को

**Signature valid**

Digitally signed by Archana Singh  
Designation: Secretary To  
Government  
Date: 2026.06.04 08:26:28 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
22627832  
M e-Sign



समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किसी पद पर अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की मूल सूची की अभिस्तावना प्रेषित करने की तिथि से 01 वर्ष के भीतर सेवा के परित्याग/मृत्यु/पदच्युति होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से चयन किया जावे।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आगे से आरक्षित सूची का प्रवर्तन उक्त निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करावे किन्तु ऐसे प्रकरण जो उक्त स्पष्टीकरण से पूर्व निस्तारित हो चुके हैं को पुनः नहीं खोला जायेगा।

(अर्चना सिंह)

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
8. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

**Signature valid**

Digitally signed by Archana Singh  
Designation: Secretary To  
Government  
Date: 2026.06.04 08:26:28 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
22627832

M e-Sign

10/2026